

मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
// मंत्रालय //

आदेश संख्या 4/ई/8/96/16-ए/1

अ धि सू च ना

27/7/08

भीषाल दिनांक 26-6-08

क्रमांक एफ 4/ई/8/96/16-ए/1: कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 [1923 का सं. 8] की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा राज्य के समस्त सहायक श्रमायुक्तों को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर के रूप में नियुक्त करती है तथा यह निर्देश देती है कि वे उक्त अधिनियम के अधीन उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे।

NOTIFICATION

No.F 4(1)8/96/16-A(1): In exercise of the powers conferred by section 20 of the Workmen's Compensation Act, 1923 (No.8 of 1923) the State Government hereby appoints all the Assistant Labour Commissioners of the State as Commissioner for Workmen's Compensation, in addition to his own duties and directs that they shall exercise the powers and -- perform the duties under the said Act in the area of their respective jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

ए. ए. वैशवात

उप-सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग

क्रमांक एफ 4/ई/8/96/16-ए/1

भीषाल दिनांक 26-6-08

नियंत्रक, आसकीय मुद्रण तथा लेबल सामग्री, संकटेश, भीषाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में निरिचत रूप से प्रकाशनाय अशेषित। अधिसूचना की 50 प्रतियां इस विभाग को प्रदाय करने का कष्ट करें।

- ✓ श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर की ओर सूचनाय तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अशेषित।
- ✓ समस्त सहायक श्रमायुक्त, सहपक, अम्बाला, रायपुर, रायपुर (मध्य), पंजीन्द, डीपी सिंह न्यायालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर की ओर अशेषित।
- ✓ अम्बाला की प्रति समस्त न्यायालयों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।

सं. 17/03/07

जीजी

ए. ए. वैशवात

उप-सचिव, मध्यप्रदेश शासन